

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क/मंडी/प्रां./निर्मित संरचना/551
प्रति,

भोपाल, दि 2/6/15

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)


विषय :- मंडी प्रांगण में निर्मित संरचना (दुकान, गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशाप, केन्टीन) के आवंटन के संबंध में।

आपके संभाग अंतर्गत मंडी प्रांगण में निर्मित संरचना (दुकान, गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशाप, केन्टीन) म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 के तहत नीलामी की कार्यवाही करने के उपरांत भी संरचना रिक्त होने से, रिक्त संरचना को आवंटन के लिये कब-कब प्रयास किये एवं प्रयासों के बाद भी रिक्त है, की जानकारी/प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजी जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रत्येक माह की विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक एवं संयुक्त संचालक/उपसंचालक की मासिक बैठक में उक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाही/प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

क	मंडी का नाम	निर्मित संरचना (गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशाप, केन्टीन)	आवंटित संरचना (गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशाप, केन्टीन)	रिक्त संरचना (गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्ड्रीशाप, केन्टीन) कब से रिक्त है	रिक्त संरचना को आवंटन के लिये कब-कब प्रयास किये गये तथा कितने कितने प्रयासों के उपरांत भी रिक्त है।	रिमांक
1.						
2.						

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित


अपर संचालक (प्रांगण)
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल